



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

**अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: पंजीकृत मूल्यांकक
(व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ता आवेदकों के लिए)
(1 अक्टूबर, 2021 को अपडेट किया गया है)**

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट,
कनॉट सर्कस, नई दिल्ली -110001**

विषयसूची

क्रमांक [V.4.0]	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सामान्य	3 - 10
2	शैक्षिक योग्यता और अनुभव	11 - 18
3	शैक्षिक पाठ्यक्रम	19
4	मूल्यांकन परीक्षा	20
5	आवेदन दाखिल करना	21 - 23
6	संपर्क सूत्र	24

1. सामान्य

1. मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) कौन होता है?

उत्तर. मूल्यांकनकर्ता वह व्यक्ति होता है, जो मूल्यांकन का कार्य करता है।

2. कौन-सा अधिनियम/विनियम मूल्यांकनकर्ता को परिभाषित करता है?

उत्तर. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458, 459 और 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 (विनियम), परिभाषित करते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता, योग्यता और मूल्यांकनकर्ता के पंजीकरण सहित मूल्यांकनकर्ता को शासित एवं नियंत्रण करने वाले विनियमों को निर्धारित करते हैं।

3. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता कौन होता है?

उत्तर. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता वह व्यक्ति होता है जो विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के साथ मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होता है।

4. प्राधिकरण कौन होता है?

उत्तर. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कौन पात्र होता है?

उत्तर. एक व्यक्ति, जो किसी पंजीकृत साझेदारी इकाई या किसी कंपनी विनियमों के नियम 3 में प्रदान की गई पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, पंजीकृत होने के लिए पात्र होता है।

6. मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड, योग्यता और अनुभव क्या हैं?

उत्तर. विनियमों के नियम 3 और नियम 4 में प्रदान की गई अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, कोई भी व्यक्ति एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता होने के लिए पात्र है, यदि वह (i) एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है, (ii) आवश्यक योग्यता और अनुभव रखता है, (iii) एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आरवीओ) का एक मूल्यांकक सदस्य है, (iv) उसने आरवीओ के सदस्य के रूप में एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, और (v)

आईबीबीआई द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, और (vi) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आरवीओ) द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए अनुशंसित है।

7. एक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) कौन होता है?

उत्तर. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन (आरवीओ) एक ऐसा संगठन होता है जो विनियमों के नियम 13 के उप-नियम (5) के तहत मान्यता प्राप्त होता है और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्राथमिक विनियामक होता है। एक आवेदक को पंजीकृत के रूप में पंजीकरण की मांग करने से पहले आरवीओ के साथ एक मूल्यांकनकर्ता सदस्य होना चाहिए।

8. एक योग्य और उचित व्यक्ति कौन होता है?

उत्तर. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति इन विनियमों के तहत एक योग्य, उपयुक्त और उचित व्यक्ति है, प्राधिकरण किसी भी प्रासंगिक विचार को ध्यान में रख सकता है, जिसमें निम्नलिखित मानदंड शामिल तो होते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होते हैं-

- (i) ईमानदारी, प्रतिष्ठा और चरित्र,
- (ii) दोषसिद्धि और संयम आदेशों का अभाव,
- (iii) क्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता।

9. यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के अधीन कैद किया गया है, तो क्या यह उसे आजीवन मूल्यांकक होने के लिए अपात्र या अयोग्य बना देता है?

उत्तर. नहीं। यदि वह छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ-साथ दंडनीय अपराध के लिए भी सजा का दोषी पाया जाता है, तो वह सजा की समाप्ति की तारीख से पाँच साल की अवधि बीत जाने के बाद पात्र एवं योग्य हो जाता है। हालांकि, अगर उसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह पंजीकृत होने के लिए पात्र एवं योग्य नहीं होता है।

10. यदि किसी आवेदक पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 जे के तहत जुर्माना लगाया गया है, तो क्या वह जीवन भर मूल्यांकक बनने के लिए अपात्र एवं अयोग्य हो जाता है?

उत्तर. नहीं। वह इस तरह के जुर्माना लगाने की तारीख से पाँच साल के अंतराल के बाद पात्र एवं योग्य हो जाता है, बशर्ते कि दंड का भुगतान कर दिया गया हो।

11. क्या किसी आवेदक को मूल्यांकन (वैल्यूएशन) करने के लिए पंजीकृत होने की आवश्यकता है?

उत्तर. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के संबंध में नियमों के प्रभाव में आने के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य कानून के तहत मूल्यांकन का संचालन प्रभावित नहीं होगा।

हालांकि, 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी, केवल पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और (ii) दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, 2016 के तहत मूल्यांकन कर सकते हैं।

12. क्या पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति मूल्यांकन कार्य कर सकता है?

उत्तर. 01 फरवरी, 2019 से, केवल पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और (ii) दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, 2016 के तहत मूल्यांकन कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी मूल्यांकनकर्ता (पंजीकृत या अपंजीकृत) किसी भी अन्य कानून के तहत मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकता है, जिसमें एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की निर्धारित अपेक्षा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

13. यदि कोई व्यक्ति (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और (ii) दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, 2016 के तहत मूल्यांकन कार्य करने का इरादा नहीं रखता है, तो क्या पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होगी? या पंजीकरण फिर भी अपेक्षित है?

उत्तर. नहीं, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य कानून के तहत मूल्यांकन कार्य का संचालन तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक कि किसी अन्य अधिनियम के तहत विशेष रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है।

14. एक व्यक्ति के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता बनने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (आरवी) बनने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने वाले (अनिवार्य) चरण निम्नलिखित हैं: -

चरण	विवरण
I	एक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) के साथ सदस्यता (मूल्यांकक सदस्य के रूप में) प्राप्त करना। ध्यान दें: आवेदन प्राप्त होने पर, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 3 और नियम 4 के प्रावधान के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की जांच करेगा कि यह पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप है। अनुपालन स्थापित करने के बाद उक्त नियमों के अनुसार, आरवीओ एक आवेदक को अपने

	मूल्यांकनकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित करेगा।
II	एसेट क्लास में अनिवार्य 50 घंटे का शिक्षा पाठ्यक्रम लेना, जिसके लिए पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण की मांग की जा रही है।
III	चयनित एसेट क्लास के लिए मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना। (जिसके लिए 50 घंटे अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है)।
IV	पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना और आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना। ध्यान दें: आवेदक द्वारा पंजीकरण (फॉर्म-ए) के लिए आवेदन जमा करने के बाद, उसे अनुमोदन के लिए आरवीओ, जिसके साथ आवेदक नामांकित है, को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पंजीकरण के लिए आवेदन (फॉर्म-ए) की जांच करने के बाद, आरवीओ उस आवेदन को मंजूरी दे सकता है जिसके बाद उसके पोर्टल पर आवेदक के लिए भुगतान लिंक खोला जाता है।
V	आवेदक द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान किए जाने के बाद, आवेदन पत्र स्वचालित रूप से आईबीबीआई को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।
VI	आईबीबीआई आवेदन को संसाधित करते समय, आवेदक के आरवीओ के माध्यम से आवेदक से आवेदन के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकता है।
VI	प्राधिकरण द्वारा आवेदक को पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद, क) प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर आरवी का विवरण अपडेट करेगा और आरवी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा; ख) प्रैक्टिस की शुरुआत करने के लिए संबंधित आरवीओ आरवी को अभ्यास का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

15. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता क्या कार्य कर सकता है?

उत्तर. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता केवल उस संपत्ति के वर्ग के लिए संपत्ति का मूल्यांकन कर सकता है जिसके लिए वह पंजीकृत है।

16. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता कितने प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए पंजीकृत होता हैं?

उत्तर. तीन, अर्थात्,

- (i) भूमि और भवन;
- (ii) संयंत्र और मशीनरी
- (iii) प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति।

17. क्या एक प्रकार की परिसंपत्ति के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता किसी दूसरे प्रकार की परिसंपत्ति के लिए पंजीकरण कर सकता है?

उत्तर. हां, बशर्ते कि उसके पास प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई योग्यता और अनुभव हो और उसने प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

18. क्या किसी आवेदक को सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ, बशर्ते कि प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए विनियमों में योग्यता और अनुभव प्रदान किया गया हो और प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के लिए मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

19. क्या कोई आवेदक सीधे प्राधिकरण में पंजीकृत हो सकता है?

उत्तर. नहीं, कोई भी आवेदक प्राधिकरण के साथ सीधे पंजीकरण की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि पंजीकरण की मांग करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होता है।

20. एक आवेदक मूल्यांकनकर्ता सदस्य के रूप में कहाँ नामांकित हो सकता है?

उत्तर. आवेदक को एक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) के साथ नामांकित होना चाहिए।

21. एक आवेदक नामांकन के लिए पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) का चयन कैसे कर सकता है?

उत्तर. आवेदक किसी भी पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) की सदस्यता ले सकता है, जिसका विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया हो। हालांकि, आवेदक केवल उस आरवीओ की सदस्यता की मांग कर सकता है जो परिसंपत्ति वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए वह प्राधिकरण के साथ पंजीकरण लेने का इरादा रखता है।

22. क्या एक आवेदक दो पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) के साथ नामांकित हो सकता है?

उत्तर. एक आवेदक किसी विशेष परिसंपत्ति वर्ग के लिए केवल एक ही आरवीओ का सदस्य हो सकता है। हालांकि, अन्य परिसंपत्ति वर्ग के लिए, एक व्यक्ति किसी अन्य आरवीओ के साथ भी सदस्य हो सकता है जिसे उक्त परिसंपत्ति वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त है।

23. क्या कोई मूल्यांकनकर्ता सदस्य अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे आरवीओ में स्थानांतरित कर सकता है?

उत्तर. हाँ, एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण से पहले, एक मूल्यांकक सदस्य अपनी सदस्यता को 28 जनवरी 2020 के परिपत्र संख्या आईबीबीआई/आरवीओ/029/2020 (आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रतिलिपि) के अनुसार एक आरवीओ से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है।

24. क्या एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता अपनी सदस्यता को एक आरवीओ से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है?

उत्तर. हाँ, एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता आईबीबीआई की पूर्व अनुमति से, अपनी सदस्यता को परिपत्र संख्या आईबीबीआई/आरवीओ/029/2020 दिनांक 28 जनवरी 2020 (आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रतिलिपि) के अनुसार एक आरवीओ से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है।

25. पंजीकरण की शर्तें क्या हैं?

उत्तर. मूल्यांकक को नियमों के तहत प्रदान किया पंजीकरण नियम 7 के तहत दी गई निम्नलिखित शर्तों का हर समय पालन करते रहने पर ही वैध रह पाएगा:

(क) नियम 3 और नियम 4 के तहत विनिर्दिष्ट के रूप में पात्रता, योग्यता और अनुभवी मानदंड अनिवार्य हैं;

(ख) संबंधित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन के अधिनियम, विनियमों, उप-नियमों या आंतरिक निबंधनों, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों का पालन करना;

(ग) एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में अपनी क्षमता में, संपत्ति या संपत्ति के वर्ग (ओं) के मूल्यांकन का संचालन नहीं करना होगा, जिसके लिए उसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया गया है;

- (घ) अपनी सदस्यता को एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेना ;
- (ज) शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाना।
- (च) ऐसे असाइनमेंट के पूरा होने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए उसके द्वारा किए गए प्रत्येक असाइनमेंट का रिकॉर्ड बनाए रखना;
- (छ) पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन, जिसका वह सदस्य है, की आचार संहिता (नियमों के अनुबंध-1 के अनुसार) का अनुपालन करना;
- (ज) ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करना जो प्राधिकरण द्वारा लगाई जा सकती हैं।

26. क्या रोजगार में कोई व्यक्ति मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हो सकता है?

उत्तर. हाँ।

27. क्या रोजगार में कोई व्यक्ति पंजीकरण की मांग कर सकता है?

उत्तर. नहीं, पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदक को रोजगार में नहीं होना चाहिए। वास्तव में, यानी, नौकरी में रहते हुए कोई व्यक्ति मूल्यांकन परीक्षा में उपस्थित हो सकता है लेकिन मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण करवाते समय ऐसे व्यक्ति को किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

28. एक निवेदक जिसे परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित कोई गतिविधि नहीं करता है, क्या उसे रोजगार में माना जाएगा?

उत्तर. हाँ।

29. एक आवेदक जिसे परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक कर्मचारी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित कोई गतिविधि नहीं करता है, क्या उसे कोई वेतन नहीं मिलने पर भी रोजगार में माना जाएगा?

उत्तर. हाँ।

30. एक निवेदक जो परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय में पूर्णकालिक निदेशक या कार्यकारी निदेशक है, यदि वह कोई वेतन नहीं ले रहा है तो क्या उसे रोजगार में माना जाएगा?

उत्तर. हाँ।

31. क्या कोई आवेदक पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) के साथ अपनी सदस्यता छोड़ सकता/सकती है?

उत्तर. हाँ, आरवीओ के मॉडल उपनियमों के अनुसार आरवीओ की सदस्यता का परित्याग किया जा सकता है, जैसा कि नियमों के अनुलग्नक iii के भाग ii की धारा xi के तहत कवर किया गया है।

32. क्या कोई सदस्यता कार्ड, पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण पर जारी किया जाता है?

उत्तर. पात्रता के योग्य एक आवेदक पंजीकरण के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी आवेदक को उसके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाती है, जबकि मूल प्रति आरवीओ को सौंपी जाती है, जिसका पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (आरवी) सदस्य होता है। तथापि, पंजीकरण प्रमाण पत्र के अलावा कोई सदस्यता कार्ड/पहचान पत्र आदि जारी नहीं किया जाता है।

2. शैक्षिक योग्यता और अनुभव

33. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव कहाँ पर निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर. विनियम के नियम 4 के तहत शैक्षिक योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया है।

34. एक व्यक्तिगत आवेदक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव क्या हैं?

उत्तर. पंजीकरण हेतु पात्र होने के लिए एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएँ और अनुभव होना चाहिए: -

(क) भारत में कानून द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या निगमित विश्वविद्यालय या संस्थान से निर्दिष्ट शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा और उसके बाद विनिर्दिष्ट शिक्षण में कम से कम तीन साल का अनुभव; या

(ख) भारत में कानून द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या निगमित विश्वविद्यालय या संस्थान से निर्दिष्ट शिक्षण में स्नातक की डिग्री या समकक्ष और उसके बाद निर्दिष्ट अनुशासन में कम से कम पाँच साल का अनुभव; या

(ग) एक पेशे के विनियमन के उद्देश्य से अधिनियमित संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक पेशेवर संस्थान की सदस्यता, ऐसी सदस्यता के बाद कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

35. 'विनिर्दिष्ट शिक्षण' (स्पेसफाइड डिसप्लिन) का क्या अर्थ है?

उत्तर. 'विनिर्दिष्ट शिक्षण' का अर्थ है ऐसा विशिष्ट शिक्षण जो एक परिसंपत्ति वर्ग के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक होता है जिसके लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का प्रयास किया जा रहा है।

36. क्या व्यक्तिगत प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए योग्यता शिक्षा और अनुभव की कोई सूची है?

उत्तर. हाँ, विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव की एक सांकेतिक सूची नियमों के अनुलग्नक-IV में दी गई है।

37. शैक्षिक योग्यता के संबंध में 'समतुल्य' या 'समकक्ष' का क्या अर्थ है?

उत्तर. 'समकक्ष' का अर्थ है पेशेवर और तकनीकी योग्यताओं से है जिन्हें मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा एक पेशेवर और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

38. यदि किसी आवेदक के पास किसी पेशे के नियमन के उद्देश्य से अधिनियमित संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक व्यावसायिक संस्थान की सदस्यता है, और ऐसे संस्थान का सदस्य बनने से पहले 3 साल का अनुभव है, तो क्या आवेदक पंजीकरण के लिए पात्र होगा?

उत्तर. नहीं, ऐसे व्यावसायिक संस्थान का सदस्य बनने के बाद 3 वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता वांछनीय होता है।

39. एक आवेदक सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक है और उसे एक सिविल इंजीनियर के रूप में 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेश का अनुभव है। इसके बाद, आवेदक वर्ष 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) का सदस्य बन जाता है। क्या वह संपत्ति वर्गों के लिए पंजीकृत होने का प्रयास कर सकता है (i) उसे भूमि और भवन और (ii) प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति के रूप में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है?

उत्तर. (i) भूमि और भवन: हाँ, चूँकि विनिर्दिष्ट शिक्षण में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। (ii) प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति: नहीं, चूँकि योग्यता के बाद विनिर्दिष्ट शिक्षण में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

40. शैक्षिक योग्यता के लिए पात्रता मानदंड स्थापित करने के लिए किन प्रमाणों पर विचार किया जाता है?

उत्तर. शैक्षिक योग्यता प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाणों (जैसा कि लागू हो) पर विचार किया जाता है: -

- (1) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या समकक्ष से प्राप्त फाईनल डिग्री प्रमाण पत्र, चाहे भारत में हो या विदेश में और/या;
- (2) संसद के किसी अधिनियम द्वारा प्रमाणित किसी व्यावसायिक संस्थान द्वारा जारी सदस्यता का प्रमाण पत्र।

41. क्या शैक्षिक योग्यता प्रमाणित करने के लिए फाईनल डिग्री प्रमाणपत्र पर विचार किया जाता है?

उत्तर. नहीं।

42. क्या शैक्षिक योग्यता प्रमाणित करने के लिए मार्कशीट पर विचार किया जाता है?

उत्तर. नहीं।

43. यदि डिग्री पर विशेषज्ञता का उल्लेख नहीं है, तो विशेषज्ञता की पुष्टि के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए?

उत्तर. विशेषज्ञता के क्षेत्र को प्रमाणित करने के लिए डिग्री के साथ जिस कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय से शैक्षिक पाठ्यक्रम लिया गया था, उससे एक पुष्टिकरण संलग्न किया जाएगा।

44. क्या डिग्री की विशेषज्ञता का पता लगाने के लिए मार्कशीट पर विचार किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं।

45. यदि डिग्री पर विशेषज्ञता का उल्लेख नहीं है, तो क्या विशेषज्ञता के क्षेत्र के संबंध में स्व-घोषणा की जा सकती है?

उत्तर. नहीं।

46. क्या मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची मौजूद है?

उत्तर. मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट पर सूचीबद्ध की गयी है। उसी का लिंक (20 दिसंबर, 2018 तक) इस प्रकार है:

<https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf>

47. यदि किसी संस्थान विशेष द्वारा जारी एमबीए की डिग्री को वर्ष 2007 में मान्यता दी गई थी, तो क्या एक आवेदक को पंजीकरण के उद्देश्य के लिए योग्य माना जा सकता है, जिसने 2007 से पहले उसी संस्थान से एमबीए (वित्त) किया था, क्योंकि डिग्री अब मान्यता प्राप्त है?

उत्तर. नहीं, चूँकि डिग्री को ऐसे समय में मान्यता दी जानी चाहिए जब शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था।

48. यदि किसी संस्थान विशेष द्वारा जारी एमबीए की डिग्री को वर्ष 2007 में मान्यता दी गई थी, तो क्या कोई आवेदक को पंजीकरण के उद्देश्य के लिए योग्य माना जा सकता है, जिसने 2007 से पहले उसी संस्थान से एमबीए (वित्त) किया था, क्योंकि (i) डिग्री अब मान्यता प्राप्त है और (ii) मान्यता से पहले और मान्यता के बाद का पाठ्यक्रम समान रहा है?

उत्तर. नहीं।

49. क्या वाणिज्य में स्नातक को संपत्ति की श्रेणी "भूमि और भवन" के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि वह उक्त परिसंपत्ति वर्ग के लिए 5 वर्षों से अधिक समय से मूल्यांकन कार्य कर रहा है?

उत्तर. नहीं। आवेदक के पास "भूमि और भवन" के परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए नियमों के अनुलग्नक iv में दर्शाए अनुसार प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

50. क्या वाणिज्य में स्नातक और रियल एस्टेट मूल्यांकन में स्नातकोत्तर हो सकता है? संपत्ति की श्रेणी "भूमि और भवन" के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है, यदि, स्नातकोत्तर करने के बाद, आवेदक के पास उक्त परिसंपत्ति की श्रेणी के मूल्यांकन में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव भी है?

उत्तर. हाँ। इस मामले में, आवेदक को अचल संपत्ति मूल्यांकन में स्नातकोत्तर विनिर्दिष्ट शिक्षण की शर्त को पूरा करना होगा। अनिवार्य अनुभव की शर्त निर्दिष्ट शिक्षण में वर्षों के अनुभव की संख्या के संदर्भ में संतुष्ट है।

51. क्या वाणिज्य में स्नातक और रियल एस्टेट मूल्यांकन में स्नातकोत्तर को संपत्ति की श्रेणी "भूमि और भवन" के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वह स्नातक होने के बाद 5 साल से अधिक समय से उक्त परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए मूल्यांकन कार्य कर रहा है?

उत्तर. नहीं। इस मामले में, शिक्षा पात्रता रियल एस्टेट मूल्यांकन में स्नातकोत्तर से प्रमाणित की जाती है। कार्य का अनुभव एक पूर्व अवधि के संबंध में है और उक्त पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद कार्य का कोई अनुभव नहीं है।

52. क्या रियल एस्टेट वैल्यूएशन में पोस्ट-ग्रेजुएट को एसेट क्लास "प्लांट एंड मशीनरी" के लिए एक पंजीकृत वैल्यूअर के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वह 5 साल से अधिक समय से उक्त एसेट क्लास के लिए वैल्यूएशन कार्य कर रहा है?

उत्तर. नहीं। क्योंकि अचल संपत्ति मूल्यांकन में स्नातकोत्तर उक्त परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए निर्दिष्ट शिक्षण की शर्त को पूरा नहीं करता है।

53. क्या बीई (मैकेनिकल) आवेदक को परिसंपत्ति की श्रेणी "संयंत्र और मशीनरी" के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वह उक्त परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए 3 वर्षों से अधिक समय से मूल्यांकन कार्य कर रहा है?

उत्तर. नहीं, क्योंकि यहाँ शिक्षा की अनिवार्यता को पूरा किया जा रहा है, अनिवार्य अनुभव की वांछनीयता को पूरा नहीं किया जा रहा है, अर्थात् विनिर्दिष्ट शिक्षण में स्नातक प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

55. क्या बी.आर्क आवेदक को संपत्ति वर्ग "भूमि और भवन" के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों से अधिक समय से उक्त परिसंपत्ति वर्ग के लिए मूल्यांकन कार्य कर रहा है?

उत्तर. हाँ। इस मामले में, शिक्षा और विनिर्दिष्ट शिक्षण में न्यूनतम अनुभव दोनों की अनिवार्यता को पूरा किया जा रहा है। यह इस शर्त के अधीन है कि इस मामले में बी. आर्क अनुभव योग्यता शिक्षण पात्रता पूरी करने के बाद की अवधि से संबंधित है।

56. यदि कोई आवेदक बीई (सिविल) और संयंत्र और मशीनरी के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर डिग्री रखता है और स्नातक स्तर की पढ़ाई के अनुसार "भूमि और भवन" के मूल्यांकन में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव और पोस्ट ग्रेजुएशन के अनुसार "संयंत्र और मशीनरी" के मूल्यांकन में 5 वर्ष का अनुभव है।, क्या आवेदक को संपत्ति की श्रेणी "भूमि और भवन" और "संयंत्र और मशीनरी" दोनों के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ। इस मामले में, आवेदक को संबंधित विनिर्दिष्ट शिक्षण में प्रासंगिक अनुभव है और विनिर्दिष्ट शिक्षण में संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही अनुभव प्राप्त किया है।

57. यदि आवेदक ने स्नातक नहीं किया है, तो क्या वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में 3 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट को परिसंपत्ति की श्रेणी "प्रतिभूति या वित्तीय संपत्ति" के लिए पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ।

58. यदि एक आवेदक सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक है, एवं वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में 3 वर्ष से अधिक के अनुभव वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट है तो क्या परिसंपत्ति की श्रेणी "प्रतिभूति या वित्तीय संपत्ति" के लिए पंजीकृत मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ।

59. क्या किसी भी विषय में एमबीए रखने वाला व्यक्ति परिसंपत्ति की श्रेणी "प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति" के लिए पंजीकरण के लिए पात्र हो सकता है?

उत्तर. केवल वित्त में विशेषज्ञता वाले आवेदक ही मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हो सकते हैं।

60. क्या एक विदेशी विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) की डिग्री रखने वाला व्यक्ति संपत्ति की श्रेणी "प्रतिभूति और वित्तीय संपत्ति" के लिए पंजीकृत होने की कोशिश कर सकता है?

उत्तर. हाँ। हालाँकि, डिग्री को भारत में मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

61. कौन से सभी विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी डिग्री योग्यता शैक्षणिक योग्यता के रूप में योग्य माने जाते हैं?

उत्तर. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) ने अपने पत्र सं 2010-12 के माध्यम से अपने पत्र सं 2010-11 के माध्यम से 13 मार्च, 1995 को एफ.15-17/94-टीएस IV ने एक अधिसूचना जारी की कि उन विदेशी अर्हताओं को रोजगार के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त/समतुल्य माना जाता है जो भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त/समान हैं।

तदनुसार, एक विदेशी डिग्री के साथ किसी भी आवेदक को विदेशी डिग्री के संबंध में एआईयू द्वारा जारी तुल्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसके आधार पर पंजीकृत होने की कोशिश जा रही है। एआईयू वेबसाइट का लिंक इस प्रकार है: www.aiu.ac.in

62. अनुभव के लिए कौन से दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होती है?

उत्तर. निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाणपत्र, जैसा कि लागू हो, आवश्यक होता है:

(क) रोजगार के मामले में-

सेवा/अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि और किए गए कार्य की प्रकृति का उल्लेख होना चाहिए। किए गए कार्य की प्रकृति नियमों में उल्लिखित अनुभव की वांछनीयता को पूरा करना चाहिए।

(ख) कार्य के मामले में-

उन ग्राहकों से पुष्टि प्रमाणपत्र जिन्हें सेवा प्रदान की गई है।

उदाहरण:

(1) यदि किसी बैंक/वित्तीय संस्था के लिए मूल्यांकन कार्य किया गया है:

- उक्त संस्था से एक प्रमाण पत्र जिसमें उस अवधि की पुष्टि की गई है जिसके लिए कार्य किया गया था और कार्य की प्रकृति (ताकि विनिर्दिष्ट अनुशासन या कार्य में अनुभव प्रमाणित किया जा सके)।

(2) निजी कंपनियों के लिए काम किए जाने के मामले में-

- सौंपे गए कार्य की पुष्टि प्रमाणपत्र (ताकि निर्दिष्ट अनुशासन या कार्य में अनुभव प्रमाणित करने के लिए) और कार्य पूरा होने की तिथि (कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र) की पुष्टि के लिए एक प्रमाण पत्र।

- प्रासंगिक वर्षों के लिए आवेदक का आईटीआर जो कंपनी को दिये जाने वाले वेतन/व्यवसायिक या पेशे से संबंधित सेवाओं से आय को दर्शाता है।

(3) मामले में किसी व्यक्ति के लिए काम किया गया था:

- सौंपे गए कार्य की पुष्टि का प्रमाणपत्र (ताकि निर्दिष्ट अनुशासन या कार्य में अनुभव प्रमाणित करने के लिए) और कार्य पूरा होने की तिथि (कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र) और;

- प्रासंगिक वर्षों के लिए आवेदक का आईटीआर जो व्यक्तियों को दी जाने वाली व्यवसायिक या पेशे से संबंधित सेवाओं से आय को दर्शाता है।

(ग) संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रमाणित पेशेवर संस्थान के सदस्यों के मामले में:

(i) सदस्यता का प्रमाण पत्र।

(ii) प्रैक्टिस की अवधि के लिए व्यावसायिक संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र, उसके द्वारा किए गए कार्य की स्व-घोषणा के साथ।

ध्यान दें: यदि कोई व्यक्ति आंशिक रूप से रोजगार में था, तो ऐसे रोजगार को स्व-प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और रोजगार के लिए बताए गए दस्तावेजी प्रमाण प्रदान किए जाने चाहिए।

63. क्या संबंधित पक्ष द्वारा अनुभव का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं।

64. क्या प्रशिक्षु के रूप में बिताई गई अवधि को पेशेवर अनुभव का हिस्सा माना जाएगा?

उत्तर. नहीं।

65. क्या एक आवेदक द्वारा अनुभव का स्व-प्रमाणन, जो एक पेशेवर संस्थान का सदस्य नहीं है, अनुभव का प्रमाण माना जाएगा?

उत्तर. नहीं।

66. क्या एक आवेदक द्वारा अनुभव का स्व-प्रमाणन, जो एक पेशेवर संस्थान का सदस्य नहीं है, अनुभव का प्रमाण माना जाएगा यदि यह एक शपथ पत्र पर दिया गया है?

उत्तर. नहीं।

67. यदि अनुभव का प्रमाण पत्र केवल पदनाम को इंगित करता है न कि कार्य के क्षेत्र को, तो कार्य के क्षेत्र की पुष्टि करने के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए?

उत्तर. ऐसे मामलों में, आरवीओ को अनुभव का प्रमाण पत्र जारी करने वाले से अनुभव के क्षेत्र की पुष्टि करनी चाहिए और आरवीओ का पुष्टिकरण (आरवीओ के लेटर हेड पर) ऐसे अनुभव के प्रमाण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

3. शैक्षिक पाठ्यक्रम

68. क्या ऐसे व्यक्ति के लिए 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम अनिवार्य है जो पहले से ही बैंकों/संस्थाओं/आईटी अधिनियम आदि के तहत मूल्यांकन कार्य कर रहा है?

उत्तर. हाँ। शैक्षिक पाठ्यक्रम अनिवार्य है।

69. 50 घंटे का अनिवार्य शैक्षिक पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है?

उत्तर. 50 घंटे का यह शैक्षिक पाठ्यक्रम आरवीओ द्वारा निर्धारित किया जाता है। शैक्षिक पाठ्यक्रम की सटीक अनुसूची के लिए, आवेदक को संबंधित आरवीओ से संपर्क करना चाहिए।

70. यदि एक परिसंपत्ति वर्ग के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक किसी दूसरी परिसंपत्ति की श्रेणी के लिए पंजीकृत होने के लिए पात्र है, तो क्या 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर. हाँ, चूँकि शैक्षिक पाठ्यक्रम संपत्ति वर्ग विशिष्ट से संबंधित है।

71. क्या कोई नौकरीपेशा व्यक्ति 50 घंटे का अनिवार्य शैक्षिक पाठ्यक्रम कर सकता है?

उत्तर. हाँ। हालांकि, मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं होना चाहिए।

72. क्या एक निश्चित आयु सीमा से ऊपर के आवेदकों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेने से छूट दी गई है?

उत्तर. नहीं। पंजीकरण प्राप्त करने के इच्छुक सभी आवेदकों के लिए संबंधित परिसंपत्ति वर्ग हेतु 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम अनिवार्य है, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो।

4. मूल्यांकन परीक्षा

73. कोई व्यक्ति मूल्यांकन की परीक्षा के लिए कब उपस्थित हो सकता है?

उत्तर. कोई भी व्यक्ति जिसने अनिवार्य 50 घंटे का शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है।

74. क्या मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है?

उत्तर. हाँ।

75. क्या मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है या ऑफलाइन ?

उत्तर. मूल्यांकन परीक्षाएँ केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती हैं।

76. मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के कितने दिनों के भीतर फॉर्म ए भरना चाहिए?

उत्तर. मूल्यांकन परीक्षा परिणाम परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए ही वैध है।

77. क्या एक निश्चित आयु सीमा से ऊपर के आवेदकों को मूल्यांकन परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है?

उत्तर. नहीं। ऐसे सभी आवेदकों के लिए जो पंजीकृत होने का प्रयास कर रहे हैं, मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है चाहे आवेदक की उम्र कुछ भी हो।

78. यदि एक मूल्यांकनकर्ता सदस्य ने मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन अभी तक मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, तो क्या उसे पंजीकृत होने के लिए आवेदन करने हेतु प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा करनी होगी?

उत्तर. नहीं, ऐसे मामलों में, ऑनलाइन परीक्षा के बाद प्राप्त परिणाम का प्रिंटआउट परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण के रूप में संलग्न किया जा सकता है।

79. मुझे पाठ्यक्रम, मूल्यांकन परीक्षा आदि के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

उत्तर. परिसंपत्ति की श्रेणी वर्गवार पाठ्यक्रम सहित मूल्यांकन परीक्षा के संबंध में विवरण -

<https://ibbi.gov.in/uploads/faqs/FAQsonValuationExaminations.pdf>.

5. आवेदन दाखिल करना

80. क्या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन करने हेतु कोई मानक प्रारूप होता है?

उत्तर. हाँ। व्यक्तिगत आवेदकों को नियमों के अनुलग्नक IV के फॉर्म-ए के अनुसार आवेदन जमा करना होगा।

81. आवेदन जमा करने के कितने दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है?

उत्तर. आवेदक को पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, जैसा भी मामला हो, के लिए दिए गए समय को छोड़कर, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर एक आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

82. यदि किसी आवेदन के संबंध में कोई अवलोकन/प्रश्न है, तो आवेदक द्वारा कितने दिनों में प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए?

उत्तर: पूछताछ की तारीख से 21 दिनों के भीतर।

83. यदि प्रश्न 21 दिनों के भीतर संबोधित नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

उत्तर : आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है। इसलिए अस्वीकार हो सकता है।

84. यदि 21 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण/सूचना प्रस्तुत करने के अभाव में खारिज कर दिया जाता है, तो क्या नया आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ। हालांकि, उस आवेदन को एक नए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

85. क्या आवेदन पत्र के साथ शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है?

उत्तर. हाँ, व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा 5,000/- रुपये (साथ ही लागू कर) की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क देय है।

86. आवेदन शुल्क के भुगतान के तरीके क्या हैं?

उत्तर. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। आरवीओ द्वारा फॉर्म ए के अनुमोदन के बाद, पंजीकरण पोर्टल पर भुगतान करने का विकल्प सक्रिय हो जाता है।

87. क्या आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या चेक या नकद में किया जा सकता है?
उत्तर. नहीं, भुगतान केवल ऑनलाइन ही करना होगा।

88. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

आवेदन जमा करने के लिए प्रक्रिया		
क्रमांक	प्रक्रिया	कार्रवाई द्वारा
1.	आईबीबीआई पोर्टल पर एक नया उपयोगकर्ता खाता (मूल्यांकनकर्ता) बनाएं।	आवेदक
2.	आईबीबीआई के पोर्टल पर लॉग इन करें और सभी सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने के साथ सभी प्रासंगिक पेशेवर और व्यक्तिगत विवरण भरें। सारी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।	आवेदक
3.	प्रस्तुत जानकारी और सहायक दस्तावेजों के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की समीक्षा की जाती है। प्रस्तुत सूचना/दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पर समुचित सावधानी बरती जाती है। किसी भी विसंगति या चिंताओं के मामले में, आवेदक को आवश्यक प्रश्नों, टिप्पणियों और टिप्पणियों के साथ आवेदन वापस किया जा सकता है, और ऊपर 2 और 3 में उल्लिखित प्रक्रिया को आवेदक द्वारा एक बार फिर से सुधार के लिए अनुरोध शुरू किया जा सकता है।	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन
4.	जांच के बाद, यदि आवेदन नियमों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों और आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अनुपालन में पाया जाता है, तो पंजीकरण के लिए आईबीबीआई को आवेदन की सिफारिश की जाती है।	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन
5.	आवेदक को सूचित किया जाता है कि उनका आवेदन आईबीबीआई को अग्रेषित किया जा रहा है, लागू पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए भुगतान लिंक आवेदक पोर्टल पर सक्रिय हो जाएगा।	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन
6.	आईबीबीआई को पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान	आवेदक

7.	<p>मौजूदा नियमों के अनुसार आरवीओ द्वारा अनुशंसित आवेदन की आईबीबीआई द्वारा जांच की जाती है और प्रस्तुत जानकारी और सहायक दस्तावेजों पर विचार किया जाता है।</p> <p>किसी भी विसंगति या स्पष्टीकरण के मामले में, आवेदन संबंधित आरवीओ को उनके अवलोकन के लिए आवश्यक प्रश्नों, टिप्पणियों और टिप्पणियों के साथ वापस किया जा सकता है और उसके बाद आवेदक द्वारा ऊपर 2 और 3 में उल्लिखित प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है।</p>	आईबीबीआई
8.	जांच के बाद, यदि आवेदन नियमों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों और आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अनुपालन में पाया जाता है, तो आवेदक को पंजीकरण प्रदान किया जाता है।	आईबीबीआई
9.	आवेदक को पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है और नए पंजीकृत आरवी का विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अनुमोदन की तारीख पंजीकरण की तारीख होती है।	आईबीबीआई
10.	आवेदक को पंजीकरण अनुमोदन के बारे में सूचित किया जाता है।	आईबीबीआई
11.	पंजीकरण प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी आरवी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाती है	आईबीबीआई
12.	पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति संबंधित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन को भेजी जाती है	आईबीबीआई
13.	आवेदक अपने पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है	पंजीकृत संगठन मूल्यांकक संगठन

6. संपर्क सूत्र

89. वेब पोर्टल पर आवेदन दाखिल करते समय, आईटी से संबंधित समस्याओं/मुद्दों के मामले में आवेदक को किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर. आईबीबीआई की आईटी टीम से ईमेल आईडी: pankaj.dhapodkar@ibbi.gov.in. पर संपर्क किया जा सकता है। संचार की प्रति पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता प्रभाग की ईमेल आईडी: valuer@ibbi.gov.in. पर भी मार्क की जा सकती है।

90. आवेदन दाखिल करने के बाद, आवेदन की स्थिति पर अद्यतन की जरूरत होने पर आवेदक को किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तर. नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है।

91. यदि आवेदक को कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण अनुरोध प्राप्त हुआ है, तो मामले में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर किससे संपर्क किया जाना चाहिए?

उत्तर. संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है। पंजीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ) प्राप्त टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण के साथ आवेदकों का मार्गदर्शन करेंगे।

92. हमें आरवीओ का संपर्क विवरण कहाँ से मिल सकता है?

उत्तर. आरवीओ के संपर्क विवरण कैप्चर करने वाला आईबीबीआई वेबसाइट लिंक निम्नानुसार है: <https://ibbi.gov.in/service-provider/valuer-organisations>

93. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण के मामले में कहाँ पर संपर्क करें?

उत्तर. संबंधित आरवीओ से संपर्क किया जा सकता है।

यदि आरवीओ को संदर्भित किसी भी प्रश्न का समाधान 7 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो ईमेल को संबंधित आरवीओ को एक प्रति के साथ valuer@ibbi.gov.in पर अग्रेषित किया जाना चाहिए।
